

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-91/2021

जीसीएमएस न0 2021/98

उनवान -सरकार बनाम महावीर प्रसाद त्यागी (विक्रेता) मैसर्स राजस्थान एग्रो मार्केटिंग धौ0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -08.07.2021

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्ररतुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री महावीर प्रसाद त्यागी(विक्रेता) पुत्र श्री भोलाराम त्यागी एवं श्री शिवकुमार त्यागी (मालिक) मैसर्स राजस्थान एग्रो मार्केटिंग, जी-28 एण्ड जी-29 ग्रोथ सेंटर जिला धौलपुर निवासी 85, कृष्णा बाग, दयाल बाग आगरा उ0प्र0 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.2020 को अभियुक्त/अप्रार्थी की संस्थान का निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर लगभग 100 ग्राम बजनी के कुल 2420 पैकेट धनियां पाउडर (जिंगारू) आम जनता के विक्रय करने हेतु रखे थे। उक्त धनियां पाउडर (जिंगारू) में मिलावट का शक होने पर उक्त धनियां पाउडर (जिंगारू) में से 20 पैकेट(100 ग्राम के) 2 किलोग्राम धनियां पाउडर (जिंगारू) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त धनियां पाउडर (जिंगारू) नमूना डी-1906 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट एलएस/818/एक्ट/2020/890 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया धनियां पाउडर (जिंगारू) सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड धनियां पाउडर (जिंगारू) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड धनियां पाउडर (जिंगारू) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद त्यागी(विक्रेता) पुत्र श्री भोलाराम त्यागी एवं श्री शिवकुमार त्यागी (मालिक) मैसर्स राजस्थान एग्रो मार्केटिंग, जी-28 एण्ड जी-29 ग्रोथ सेंटर जिला धौलपुर निवासी 85, कृष्णा बाग, दयाल बाग आगरा उ0प्र0 पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 10,000/-रुपये (दस हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेंद्र क. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)